न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), अलवर
पदेन अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम.1, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : धीरज शर्मा, R.J.S.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

नियमित फौज. प्रकरण संख्या : 13/2019, CIS No- 19/2019

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक **––राज्य**

–: बनाम :–

01. रज्जाक पुत्र रमजान खां उम्र 43 साल निवासी लुहरवाडी थाना सदर जिला अलवर।

––अभियुक्त

अपराध धारा–279, 336, 427 आई पी सी एवं
धारा 139 विद्युत अधिनियम 2003

उपस्थित :

विद्वार अपर लोक अभियोजक, श्री नवनीत तिवाडी, वास्ते राज्य
विद्वान अधिवक्ता, श्री अजमुदीन खान, वास्ते अभियुक्त।

– निर्णय – दिनांकः 06.07.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी राजेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना सदर, जिला अलवर में इस आशय की पेश की कि कार्यालय सहायक अभियन्ता पंचम जयपुर डिस्कॉम अलवर के कार्य क्षेत्र के अधीन स्थान 200 फीट रोड, यादव सर्विस स्टेशन के पास, तूलेडा में खाता संख्या 24141148 लक्ष्मी देवी पत्नी रूपनारायण श्रेणी व्यवसायिक के लिए स्थापित विद्युत निगम के एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की दो पोल की डी पी को दिनांक 03/08/2019 को समय लगभग 12.30 ए एम बजे एक वाहन संख्या एच आर 30 डी 6100 स्कारपियों के द्वारा पोल एवं ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी सूचना प्राप्ति के पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा 11 कि.वो. विद्युत आपूर्ति को बन्द करा दिया गया एवं लाईन दुरूस्तीकरण का कार्य किया गया। उक्त दुर्घटना के कारण विद्युत निगम को लगभग 1,39,047 रूपये की राजस्व क्षति हुई है। अतः कानूनी कार्यवाही की जावे... आदि–आदि।

2. उक्त रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 441/2019 दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 336, 427 आई पी सी एवं धारा 139 विद्युत अधिनियम 2003 का पृथक से आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो उसने सुन व समझ कर आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष ने गवाहान पी.ड.1 राजेन्द्र कुमार, पी.ड. 2 रूपनारायण, पी.ड. 3 रोहित यादव, पी.ड. 4 गंगाराम, पी.ड. 5 वीरेन्द्र सिंह, पी.ड. 6 अरसद, पी.ड. 7 सुरेश चंद, पी.ड. 8 दौलत सिंह एवं गवाह पी.ड.9 भीम सिंह के बयान लेखबद्ध कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी. 7 को प्रदर्शित कराया गया।

5. अभियुक्तगण का परीक्षण धारा–313 दं.प्र.सं. के तहत किया गया, तो उसने गवाहान द्वारा झूंठ बोलना कथन किया।

6. प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्न बिन्दु तय करने हैं :–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.08.2019 को समय करीब 12.30 ए एम पर या उसके लगभग सरहद 200 फुट रोड पर यादव सर्विस स्टेशन के पास, तूलेडा लोकमार्ग पर अपने वाहन स्कॉर्पियो नम्बर एच आर 30 डी 6100 को तेजगति, उतावलेपन व लापरवाही पूर्वक चलाकर रास्ते में चलने वाले राहगिरों के जीवन/वैयक्तिक क्षेत्र को संकटापन्न करते हुए विद्युत निगम द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर विद्युत सप्लाई को अनावश्यक रूप से बाधिक किया एवं विद्युत निगम की लगभग 1,39,047 रूपये की राजस्व क्षति पहुंचाकर रिष्टी कारित की।

(2) यदि हॉ तो अभियुक्त का दण्ड क्या होगा?

7. विद्वान अधिवक्तागण की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतया संदेह से परे साबित हुआ है, इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित कर, उचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

9. प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से पेश अधिकतर गवाह विभागीय होने से हितबद्ध साक्षी है, जिनके बयानों में गंभीर विरोधाभास है। किसी भी स्वतत्रं गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10. अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

11. इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो गवाह पी.ड. 1 राजेन्द्र कुमार प्रकरण का परिवादी गवाह है, जिसने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अभिलिखित तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि वह दिनांक 03.08.2019 को जेईएन जेवीवीएनएल बुधविहार के पद पर कार्यरत था। उस दिन यादव सर्विस सैण्टर के पास नम्बर 24141148 श्रीमती लक्ष्मीदेवी का व्यावसायिक थ्री फेज कनेक्शन था। ट्रांसफार्मर एवं दो पोल की डी पी दिनांक 03.08.2019 रात समय 12:30 बजे एक वाहन एच आर 30 डी 6100 स्कॉर्पियों सफेद रंग के चालक ने टक्कर मारकर ट्रांसफार्मर व डीपी को क्षतिग्रस्त किया गया। सूचना पर 11000 वॉल्ट की लाईन को बंद कराया गया एवं तकनीकी कर्मचारियों से डीपी व टूटे हुए पोलों को मेन लाईन से हटाकर बिजली व्यवस्था को सुचारू कराया गया। इस घटना से निगम को 1,39,047/– रूपये का नुकसान हुआ। गाडी चालक द्वारा तेज लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी। जिस घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना सदर में प्रदर्श पी 1 दर्ज कराई, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, जिन दस्तावेजात पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. गवाह पी.ड. 2 रूपनारायण एवं गवाह पी.ड. 3 रोहित यादव प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी होकर नक्शे मौके के गवाहन है, जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में एकरूप से यह बयान किये गये हैं कि लक्ष्मी के नाम 200 फुट रोड पर यादव सर्विस सैण्टर के पास 24141148 का एक व्यावसायिक थ्री फेज कनेक्शन था। जिसमें ट्रांसफार्मर एवं दो पोल की डीपी लगे हुए थे। हम सो रहे थे, रात को धमाका हुआ तब वो बाहर निकले तो देखा कि एक स्कॉर्पियों वहां खडी हुई थी, जिसने टक्कर मारकर ट्रांसफार्मर व डीपी को क्षतिग्रस्त किया गया। ड्राईवर गाडी छोड कर वहॉ से चला गया था, जिसकी सूचना विद्युत विभाग को जर्ये मोबाईल दी थी। पुलिस घटनास्थल पर आयी और नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया, जिसपर उनके हस्ताक्षर हैं।

13. गवाह पी.ड. 6 अरसद, पी.ड. 7 सुरेश चन्द, पी.ड. 8 दौलत सिंह फर्द जप्ती के साक्षी है, जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में एकरूपता से यह कथन किये गये हैं कि दौराने अनुसंधान मुकदमा नं. 441/2019 अतंर्गत धारा 279, 336, 427 भा.द.स. एवं

139 विधुत अधिनियम में अनुसंधान अधिकारी द्वारा रज्जाक खां पुत्र रामजान खां की गाडी नं. एच 30 डी 6100 की असल आर सी ड्राईविंग लाईसेंस और मुख्त्यारनामा को उनके समक्ष जप्त किया जाना, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 06 है, उसी दिन अनुसंधान अधिकारी द्वारा उनके के समक्ष एक स्कार्पियो गाडी नं. एचआर 30 डी 6100 रंग सफेद वजह सबूत जप्त की थी जो फर्द जप्ती प्रदर्श पी 07 है। जिन पर पर उनके हस्ताक्षर हैं।

14. गवाह पी.ड. 4 गंगाराम मालखाना इंचार्ज है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि दिनांक 05.08.2019 को थाना सदर में मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन आईओ साहब भीमसिंह हैड कानि0 1274 ने मु0 नं0 441/2019 धारा 279, 336, 427 आईपीसी व 139 विद्युत अधि 2003 में जब्तशुदा एक स्कॉर्पियों गाडी नं0 एचआर30डी6100 मय रंग सफेद मालखाना में जमा करने हेतु दिया। जो उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के मद सं0 1070ए में दर्ज किया। जो असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 4, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 4ए है जिस पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है।

15. गवाह पी.ड. 5 वीरेन्द्र सिंह मैकेनिकल मुआयना का साक्षी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि दिनांक 14.10.2019 को थाना सदर में चालक के पद पर कार्यरत था। उस दिन आईओ साहब भीमसिंह हैड कानि0 1274 ने मु0 नं0 441/2019 धारा 279, 336, 427 आईपीसी व 139 विद्युत अधि0 2003 में जब्तशुदा एक स्कॉर्पियों गाडी नं0 एच आर 30 डी 6100 मय रंग सफेद का एक्सीडेण्ट निरीक्षण रिपोर्ट हेतु उसे तहरीर दी थी। उसके द्वारा उक्त जब्तशुदा एक स्कॉर्पियों गाडी का निरीक्षण किया गया, तो वाहन के स्टेयरिंग का क्रॉस ज्वांइट टूटा हुआ था व वाहन का बोनट व जाली मुडी हुई थी व रेडिएटर फूटा हुआ था, वाहन का सामने का कॉच टूटा हुआ था। वाहन की बॉडी दबी हुई थी व वाहन के चारों टायरो की हवा निकली हुई थी। वाहन चालू हालत में नही था। उसके द्वारा दी गई एक्सीडेण्ट निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है एवं सी से डी उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट है।

16. गवाह पी.ड. 9 भीम सिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी होकर स्टार साक्षी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि वह दिनांक 14.10.2019 को थाना सदर में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 441/2019 अतंर्गत धारा 279, 336, 427 भां.द.सं एवं 139 वि. अधि. की पत्रावली थानाधिकारी साहब ने उसे सुपुर्द की। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा राजेन्द्र कुमार जेईएन व गवाह रूपनारायण और सुनील, रोहित के धारा 161 सीआरपीसी के तहत लेखबद्ध किये गये। दिनांक 04.08.2019 को मुस्तगीस की निसादेही से गवाहान रूपनारायण व रोहित के समक्ष नक्शा मौका उसके द्वारा कसीद किया गया, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी परिवादी, सी से डी, ई से एफ गवाहान तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं

जिसके अगले पृष्ठ पर भी हालात नक्शा मौका अंकित है। दिनांक 05.08.2019 को एक गाडी स्कारपियो नंबर एचआर 30 डी 6100 रंग सफेद मुकदमा हाजा में जो थाना सदर में सुरक्षा की दृष्टि से खडी थी, जिसको उसके द्वारा जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी 7 जप्त किया गया। दिनांक 14.10.2019 को स्कारपियो नंबर एचआर 30 डी 6100 की असल आर सी व चालक का डी.एल और पॉवर ऑफ अर्टोनी गवाहों की मौजूदगी में जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 जप्त की गई। दिनाक 14.10.2019 को उपरोक्त वाहन का मैकेनिक मुआयना चालक विरेन्द सिंह द्वारा उसके समक्ष प्रदर्श पी 5 पेश किया गया

17. उक्त गवाह ने आगे यह भी कथन किये हैं कि दिनांक 05.08.2019 को उक्त वाहन को मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द मद नंबर 1170 ए पर इंद्राज करवाया था। जिसकी एक प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। बाद संपूर्ण तप्तीश मुलजिम रज्जाक खॉ पुत्र रमजान खॉ जाति मेव निवासी लुहुरवाडी थाना सदर के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 336, 427 भां.द.सं एवं 139 वि. अधि. में प्रमाणित मानकर न्यायालय में चार्जशीट संख्या 417/2019 पेश की।

18. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही के प्रत्यक्षदर्शी घटनास्थल के साक्षी गवाह पी.ड. 1 राजेन्द्र, गवाह पी.ड. 2 रूपनारायण, गवाह पी.ड. 3 रोहित यादव ने अपने बयानों में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने बयान लेखबद्व कराये हैं, उक्त तहरीरी रिपोर्ट के अनुसरण में स्वयं तहरीरी कर्ता गवाह पी.ड. 1 राजेन्द्र कुमार एवं उपरोक्त गवाह पी.ड. 1 राजेन्द्र, गवाह पी.ड. 2 रूपनारायण द्वारा अपने बयानों में मुख्यतः अभियुक्त द्वारा अपने वाहन संख्या एच आर 30 डी 6100 के द्वारा विद्युत विभाग द्वारा लगाये गये एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की दो पोल की डी पी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किये जाने के स्पष्ट कथन किये हैं।

19. अभियोजन पक्ष द्वारा विचारणीय बिन्दू के संबंध में अनुसंधान कार्यवाही के गवाह क्रमशः गवाह पी.ड. 4 गंगाराम मालखाना इंचार्ज है, जो प्रकरण में जप्तशुदा वाहन एच आर 30 डी 6100 को मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने के कथन करते हुए मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 4 को प्रमाणित करता है। गवाह पी.ड. 5 वीरेन्द्र सिंह प्रश्नगत वाहन स्कारपियो के मैकेनिकल मुआयना का गवाह है, जो दौराने मैकेनिकल मुआयना उक्त वाहन के स्टेयरिंग का कॉस ज्वांइट टूटा हुआ होना, बोनट व जाली मुडी हुई होना, रेडिएटर फूटा हुआ होना, वाहन का सामने का कॉच टूटा हुआ हो, वाहन की बॉडी दबी हुई होना तथा वाहन के चारों टायरो की हवा निकली हुई होने के कथन करते हुए उक्त वाहन चालू हालत में नही होना कथित किया है तथा अपनी मैकेनिकल मुआयना

रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उक्त वाहन तत्त्समय एक्सीडेंटल वाहन के रूप में होना स्पष्ट है।

20. गवाह पी.ड. 6 अरसद, गवाह पी.ड. 7 सुरेश चंद एवं गवाह पी.ड. 8 दौलत सिंह अनुसंधान कार्यवाही के दौरान प्रश्नगत वाहन एवं उसके कागजात की फर्द जप्ती के औपचारिक साक्षीगण है।

21. गवाह पी.ड. 9 भीम सिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी होकर अहम गवाह है, जिसके द्वारा संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही कर अभियुक्त रमेश के विरूद्ध धारा 279, 336, 427 आई पी सी एवं धारा 139 विधुत अधिनियम के अपराध को प्रमाणित मानकर चार्जशीट संबंधित थानाधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के स्पष्ट कथन किये हैं।

22. उपरोक्त गवाहन से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य उभकर नहीं आया, जिससे उक्त गवाहन के मुख्य परीक्षण में अविश्वास किया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन की संपूर्ण साक्ष्य अखंडित रही है।

23. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण मौखिक साक्ष्य के सभी गवाहन की मुख्य परीक्षण में किये गये कथन, जिरह में अखण्डित रहे हैं एवं दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण रूप से पुष्टि किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा हस्तगत प्रकरण में स्वेच्छापूर्ण जुर्मस्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर, जुर्म स्वीकार किया गया है। ऐसे में साक्ष्य का और अधिक विवेचन किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

24. अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 336, 427 आई पी सी एवं धारा 139 विधुत अधिनियम का अपराध संदेह से परे साबित होने से उसे दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है।

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवाई</u>

25. सजा के बिन्दु पर पक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि वह प्रकरण में सन् 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहा है, उसके विरूद्व पूर्व की दोषसिद्वी भी नहीं है, वो भविष्य में ऐसा अपराध कारित नहीं करेगा तथा अभियुक्त द्वारा इस स्तर पर अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है, इसलिए उसके प्रति नरम रूख अपनाते हुए परीवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

26. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

27. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्व कोई पूर्वदोषसिद्वी नहीं है तथा अभियुक्त प्रकरण

में सन् 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहा है, अभियुक्त ने भविष्य में ऐसा अपराध पुनः कारित नहीं करने का कथन किया है तथा दोषसिद्धी के स्तर पर उसके द्वारा अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है, ऐसी दशा में उसे सुधरने का एक अवसर प्रदान करते हुये, परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: दण्डादेश :

28. अतः अभियुक्त रज्जाक पुत्र रमजान खां उम्र 43 साल निवासी लुहरवाडी थाना सदर जिला अलवर को धारा 279, 336, 427 आई पी सी एवं धारा 139 विधुत अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर **धारा 04 परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर** आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त नेक चलनी बाबत छह माह की अवधि के लिए बीस हजार रुपये की राशि का मुचलका न्यायालय के समक्ष इन शर्तो के साथ पेश कर तस्दीक करवा दे कि वो भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, समाज में सदाचार एवं लोक परिशान्ति कायम रखेंगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपनी सजा भुगतने हेतु उपस्थित रहेंगा तथा धारा 05 परीविक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त 5,000/– रुपये कुल 5,000 रूपये बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते हैं, जिस राशि को न्यायालय में जमा करवा दे, तो उसे परीविक्षा पर रिहा किया जावे।

29. प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सूबत बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं करने की सूरत में नियमानुसार निस्तारित करें।

(धीरज शर्मा)

30. निर्णय/दण्डादेश आज दिनांक **06.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धीरज शर्मा)